

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-1574/ग्यारह-9(214)/13-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(121)-2014,
लखनऊ: दिनांक: 20 नवम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सर्वर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में दिनांक 21 नवम्बर, 2014 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

(क) उक्त अनुसूची-दो में, भाग-ग में, क्रम संख्या 150 पर की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
150	प्रिपेअर्ड रबर एक्सीलरेटर्स, रबर या प्लास्टिक्स के कम्पाउन्ड प्लास्टिसाइजर्स, जिन्हें कहीं अन्यथा उल्लिखित अथवा शामिल न किया गया हो; रबर या प्लास्टिक्स हेतु एन्टी ऑक्सीडाइजिंग प्रिपेरेशन्स एवं अन्य कम्पाउन्ड स्टेबिलाइजर्स, जूतों के अपर एवं लोअर, सोल, आईलेट, जूतों के फीते, शू वेल्ट्स।

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।